भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधि रचना संगठन) विभाग
(विकास व्यवस्था प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 3, 1985

संख्या पं.2(7)विर। विकास। 80ः – राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम 19) की धारा 2 के अनुसरण में ''रूल्स फॉर दी इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स इन्क्लूडिंग दी प्रेजीडेन्ट एण्ड दी वाईस प्रेजीडेन्ट ऑफ दी राजस्थान फॉर्मेसी काउन्सिल एण्ड ऑफ दी मेम्बर्स ऑफ दी एक्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ दी सैड काउन्सिल'' का राज्यपाल द्वारा अनुमत हिन्दी अनुवाद उनके प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

प्राधिकृत हिन्दी पाठ

राजस्थान भेषजी परिषद् के सभापति, उप सभापति और सदस्यों तथा उसकी कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के नियम

(मूल अग्रेजी पाठ राजस्थान राज–पत्र, भाग 4–ग, साधारण, तारीख 28-03-1968 में अधिसूचना एफ. 2(8) एम. पी. एच. 159, दिनांक 24.01.1968 द्वारा प्रकाशित हुआ)

फार्मेसी एक्ट, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 46 की उप–धारा (1) द्वारा विशिष्टतः उप–धारा (2) के खण्ड (ख), द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मं, राज्य सरकार, राजस्थान भेषजी परिषद् के सभापित, उप सभापति और सदस्यों तथा

उसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

राजस्थान भेषजी परिषद् के सभापति, उप सभापति और सदस्यों तथा उसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के नियम।

भाग–1 निर्वचन

1. इन नियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो :–

(क) ''अधिनियम'' से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 8) अभिप्रेत है।

(ख) ''परिषद्'' से राजस्थान भेषजी परिषद् अभिप्रेत है।

(ग) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(घ) ''रजिस्ट्रार'' से राजस्थान भेषजी परिषद् का रजिस्ट्रार और धारा 19 के खण्ड (क) अथवा धारा 23 या धारा 27 के अधीन प्रथम निर्वाचन की दशा में धारा 30 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण अधिकरण अभिप्रेत है।

(ड़) ''रिटर्निंग आफिसर'' से धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ, रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रार के कर्त्तव्यों का पालन करने या उसके कर्त्तव्यों में उसकी सहायता करने के लिए उक्त रजिस्ट्रार द्वारा तत्समय प्रतिनियुक्त कोई भी अधिकारी सम्मिलित है।

(च) ''रजिस्ट्रार'' से अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार किया गया भेषजज्ञों का रजिस्टर अभिप्रेत है।

भाग 2 – धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन

2. (1) रिटर्निंग आफिसर स्टेट रजिस्टर के पृथक–पृथक भागो में रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञों से धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन राज्य परिषद् के लिए अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने को अपेक्षा करते हुए राज–पत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, अधिसूचना प्रकाशित करेगा और ऐसी अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट करते हुए कार्यक्रम के विभिन्न प्रक्रमों का समय नियत करेगा जिसके अनुसार निर्वाचन किया जायेगा।

(क) नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख तथा समय।

(ख) नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच के लिए तारीख, समय और स्थान।

(ग) मतपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख और समय, उस दशा में

जब कि मतदान हो अर्थात् यदि सम्यक रूप से नाम–निर्देशित उम्मीदवारों की संख्या उन स्थानों की संख्या से अधिक हो जिनके लिए निर्वाचन किया जाना है।

(2) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के समय में जो अन्तिम तारीख नियत की गई है उस तारीख से चौदह दिन पूर्व ऐसी अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी और धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन प्रथम आम निर्वाचन के मामलें को छोडकर, ऐसी अधिसूचना पद छोडने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम बियालीस दिन और अधिक से अधिक पचहत्तर दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी।

3. (1) जब निर्वाचन धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन हो तो निर्वाचक नामावली धारा 40 के अधीन यथा मुद्रित तथा प्रकाशित रजिस्टर के समस्त भागों से मिलकर बनेगी जो नाम निर्देशन–पत्रों के प्राप्त करने हेतु नियत कालावधि के प्रथम दिन की ठीक पूर्ववर्ती तारीख तक अद्यतन शुद्धीकृत हो :

परन्तु धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन प्रथम निर्वाचन की दशा में, निर्वाचक नामावली धारा 30 के अधीन तैयार और प्रकाशित तथा उस धारा के खण्ड (5) के अधीन यथासंशोधित प्रथम रजिस्टर के रूप में होगी।

(2) प्रत्येंक दशा में निर्वाचक नामावली की प्रतियां ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो प्राप्त करना चाहे, प्रत्येक दशा मे प्रति प्रतिलिपि पांच रूपये फीस संदाय करने पर उपलब्ध होगी।

(3) जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में नहीं वह निर्वाचन में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।

4. (1) उम्मीदवारों के नाम निर्देशन इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ''क'' में किए जायेगें और एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक होगा। प्रत्येक नाम निर्देशन–पत्र उक्त प्ररूप में यथा कथित समस्त विशिष्टियों में पूर्णरूप से भरा जाएगा।

(2) प्रस्तावक, समर्यक और उनका नाम निर्देशिती वे व्यक्ति होगें जिनके नाम

निर्वाचक नामावली में हो।

(3) एक प्रस्तावक अथवा एक समर्थक एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्ताव या समर्थन कर सकेगा परन्तु प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या उन स्थानों की संख्या से अधिक नहीं हो जिनके लिए निर्वाचन किया जाये और यह कि प्रत्येक प्रस्तावित उम्मीदवार के लिए पृथक–पृथक नाम निर्देशन–पत्र का प्रयोग किया जाए।

5. (1) नियम 2 के अधीन अधिसूचना द्वारा नाम निर्देशनों की जाँच के लिए यथा नियत तारीख तथा समय पर रिटर्निंग आफिसर समस्त नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि उनमें से कौन से नाम निर्देशन पत्र ठीक है और कौन से नहीं है जो नाम निर्देशन नियम 4 की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं भरे गये है उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आफिसर के विनिश्चय के प्रति कोई आपत्ति हो तो यह तुरन्त की जानी चाहिए और रिटर्निंग आफिसर ऐसी आपत्ति के विषय में सुनेगा और विनिश्चय करेगा। नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) प्रत्येक नाम निर्देशिती जिसके लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा उसका प्रस्तावक या समर्थक नाम निर्देशनों की जाँच के समय उपस्थित रहने के हकदार होंगें।

6. जो व्यक्ति सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है वह व्यक्ति नियम 5 में निर्दिष्ट जाँच के पूर्व या तत्पश्चात् 3 दिन के भीतर किसी भी समय अपने द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित नोटिस रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त करके अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा और तदुपरान्त वह निर्वाचन के लिए मनोनीत व्यक्ति या उम्मीदवार, यथास्थिति, नहीं रहेगा।

7. नाम निर्देशनों की जांच पूर्ण होने के पश्चात् 3 दिन के अवसान पर :–

(क) यदि सम्यक रूप से नाम निर्देशित उम्मीदवारों की संख्या, जिन स्थानों के लिए निर्वाचन किया जाए, उन स्थानों की संख्या के समान हो या उनसे कम हो, तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए घोषित करेगा; और

(ख) यदि सम्यक् रूप से नाम निर्देशित उम्मीदवारों की संख्या, जिन स्थानों के लिए निर्वाचन किया जाए, उन स्थानों की संख्या से अधिक हो, तो रिटर्निंग आफिसर नियम 8 में अधिकथित रीति से निर्वाचन क्षेत्र के मत प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा।

8. ऐसे निर्वाचन की दशा में जबकि मत लिये जाने है :–

(1) सम्यक् रूप से नामनिर्देशित उम्मीदवारों के नाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा राज–पत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित किए जाएगें;

(2) इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ''ख'' में मतपत्र प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम नियम 3 में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली पर है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने निमित्त नियम 2 के अधीन अधिसूचना में नियत कालावधि के प्रथम दिन की पूर्ववर्ती तारीख तक अद्यतन सूचित पते के अनुसार जारी किया जाएगा। इन नियमों से उपाबद्ध ''ग'' में विर्निदिष्ट इसके पीछे मुद्रित विशिष्टियों सहित रिटर्निंग आफिसर को सम्बोधित शनाख्त लिफाफा प्रत्येक मतपत्र के साथ भेजा जाएगा,

(3) जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली पर है तथा अन्य संबंधित कागज पत्रों सहित जिसका मतपत्र डाक द्वारा पहले हो प्रेषित नहीं किया गया है, अथवा प्रेषित तो किया गया है परन्तु पोस्ट आफिस द्वारा परिदत्त किये बिना लौटा दिय गया है, या जिसका निर्वाचन पत्र या कोई अन्य संबंधित कागज पत्र खो गया है या अनवधानता से इस प्रकार खराब कर दिया गया है कि वह इस रूप में सुविधाजनक रूप से काम में नहीं लिया जा सकता है वह व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेगा और अपना मतपत्र तथा शनाख्त लिफाफा या मतपत्र की दूसरी प्रति या अन्य संबंधित कागजात, यथास्थिति, लेने के लिए उस प्रभाव का बयान दे सकेगा और रिटर्निंग आफिसर का उसकी अनन्यता के संबंध में ऐसे कथन के तथ्यों के विषय में समाधान हो जाने पर और उसके द्वारा दी गई रसीद पर वह उक्त व्यक्ति को उसका मतपत्र तथा शनाख्त लिफाफा या मतपत्र की दूसरी प्रति अथवा अन्य संबंधित पत्रों, यथास्थिति, सौंप सकेगा;

(4) खण्ड 3 के अधीन के सिवाय किसी भी परिस्थिति में मतपत्र अथवा शनाख्त लिफाफे की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी और किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्र अथवा शनाख्त लिफाफा प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन

अविधिमान्य नहीं किया जाएगा;

(5) खण्ड (2) के अधीन भेजे गये मतपत्र तथा शनाख्त लिफाफे की प्राप्ति पर निर्वाचक यदि वह निर्वाचन में मत देना चाहे, मतपत्र पर उस पर मुद्रित अनुदेशों के अनुसार अपना मत लेखबद्ध करेगा और शनाख्त लिफाफे के पीछे के भाग पर मुद्रित प्ररूप भरेगा और शनाख्त लिफाफे में मतपत्र रखकर उसे बन्द करेगा और तत्पश्चात उसे या तो रिटर्निंग आफिसर को व्यक्तिगत रूप से सौपेंगा या उसे डाक द्वारा भेजेगा। अन्य प्रकार से भेजे गये मतपत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें;

(6) नियम 2 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित समय तथा तारीख, अथवा ऐसी अन्य उत्तरवर्ती तारीख तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियत की जाए, यथास्थिति, के पश्चात जो मतपत्र प्राप्त हो वे अस्वीकार किये जाएगें;

(7) प्रत्येक निर्वाचक उतनी संख्या में मत देगा जितने स्थानों की संख्या के लिए निर्वाचन किया जाए और वह जिन व्यक्तियों को मत दे उन प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सम्मुख और मतपत्र (प्ररूप ख) में इसके लिए उपबन्धित स्तम्भ में स्याही से क्रॉस का चिन्ह लगाकर अपना मत देगा। जितने स्थानों की संख्या के लिए निर्वाचन किया, यदि वह उतने स्थानों की संख्या से अधिक व्यक्तियों के लिए मत देता है, तो उसका मतपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा;

स्पष्टीकरण – निर्वाचक स्थानों की जितनी संख्या है उससे कम संख्या में उम्मीदवारों को अपना मत दे सकेगा;

(8) निर्वाचक मतपत्र पर न तो निर्वाचक के हस्ताक्षर किये जाएगें और न निर्वाचक, मतपत्र पर अपना मत उपदर्शित करने के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाने के लिए अतिरिक्त अन्य कुछ चीज लिखेगा या चिन्हित करेगा। जिस मतपत्र में इस उपनियम का उल्लंघन करते हुए मत अंकित किये गये है उस मतपत्र को खारिज कर दिया जाएगा;

(9) जिस किसी मत पत्र में चिन्ह ऐसी रीति से लगाया गया है जिससे यह संदेह हो कि कौन से उम्मीदवार को मत दिया गया है या जिसमें निर्वाचक ने ऐसा कोई चिन्ह लगाया है जिससे वह तत्पश्चात पहचाना जा सके अथवा जिसमें मत का परिवर्तन उपदर्शित करते हुए किसी परिवर्तन या उदघर्षण का किया जाना पाया जाए, तो वह मतपत्र अविधिमान्य होगा और खारिज कर दिया जाएगा;

(10) शनाख्त लिफाफे के पीछे के भाग पर मुद्रित प्ररूप में उल्लिखित समस्त विशिष्टियां भरी जाएगी। जो शनाख्त लिफाफा इस प्रकार न भरा हुआ हो वह और उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र खारिज कर दिये जाएगें;

(11) मतों की गणना नियम 2 के अधीन अधिसूचना में नियत तारीख, समय तथा स्थान पर होगी अथवा वह ऐसी अन्य पश्चातवर्ती तारीख को होगी जो इस निमित रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियत की जाए और रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना के समय उपस्थित होगा;

(12) प्रत्येंक उम्मीदवार मतों की गणना की प्रक्रिया देखने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकेगा या वह इस निमित अपने द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकेगा और वह शनाख्त लिफाफों का निरीक्षण कर सकेगा चाहे वे लिफाफे अस्वीकृत किए गए हो या स्वीकृत या जब मतपत्रों को स्वीकृत लिफाफों में से निकाला जाए तब वह उन्हें देख सकेगा लेकिन मतपत्र निकाल लिये जाने के पश्चात शनाख्त लिफाफा नहीं देखा जाएगा;

(13) किसी शनाख्त लिफाफे अथवा मतपत्र के विषय में मतो की गणना करते समय जो आक्षेप उठाये जाए उनका रिटर्निंग आफिसर विनिश्चय करेगा और शब्द ''खारिज'' तथा खारिज करने का आधार प्रत्येक मतपत्र या उसके द्वारा घोषित अविधिमान्य तथा खारिज मतपत्र युक्त शनाख्त लिफाफे पर पृष्ठांकित करेगा और–

(क) वह प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये विधिमान्य मतों को गिनेगा या गिनवाएगा; और

(ख) वह गिने हुए मतपत्रों को, खारिज किये हुए मतपत्रों को तथा मतपत्रों से युक्त खारिज हुए शनाख्त लिफाफों को पृथक–पृथक पैकेटों में मुहरबन्द करेगा और प्रत्येक ऐसे पैकेट पर उसकी अन्र्तवस्तुओं का विवरण तथा निर्दिष्ट निर्वाचन की तारीख लेखबद्ध करेगा;

(14) जब मतों की गणना पूर्ण हो गई हो, तब रिटर्निंग आफिसर अधिक विधिमान्य मत पाने वाले उम्मीदवार या उम्मीदवारी को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा;

(15) जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता पाई जाए और एक मत का परिवर्धन इन उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किये जाने का हकदार बनाये तो ऐसा अतिरिक्त मत

उसको दिया हुआ समझा जाएगा जिस व्यक्ति या व्यक्तियों का रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में निकाले जाने वाले लाट से अवधारण किया जाए या ऐसी रीति से किया जाए, जैसी कि वह अवधारित करें।

9. (1) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात रिटर्निंग आफिसर –

(क) इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप ''घ'' में एक विवरणी तैयार कर प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नांकित बातें उपवर्णित की जाएगी :–

(i) उम्मीदवारों के नाम जिनकी विधिमान्य मत दिये गये है;

(ii) प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या;

(iii) अविधिमान्य तथा खारिज घोषित किये गये मतों की संख्या; और

(iv) सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम;

(ख) सम्यक रूप से निर्वाचित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम या नामों के राजपत्र में प्रकाशन के लिए राज्य सरकार को निर्वाचन के परिणाम की रिपोर्ट करेगा; और

(ग) शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार को अभिरक्षा के लिए निर्वाचन संबंधी समस्त कागजात अग्रेषित करेगा।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कागज पत्र दो वर्ष की कालावधि तक रखें जायेगें और उप–नियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगे। ऐसे कागज पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां, विवरणी के मामलों में 1/–रूपये की फीस के संदाय पर और किसी अन्य मामलें में राजस्थान अभलेख नियमावली में अधिकथित फीस के संदाय पर उपलब्ध होगी।

(3) जब नियम 8 के खण्ड (13) में निर्दिष्ट मतपत्र अथवा शनाख्त लिफाफों के पैकेट सचिव, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार की अभिरक्षा में हो तब वे नहीं खोलें जायेंगे और भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 24 के अधीन राज्य सरकार के आदेशों के बिना उनकी विषयवस्तु का न तो निरीक्षण किया जाएगा और न उसे पेश किया जाएगा।

भाग 3 – आकस्मिक रिक्तियों की दशा में निर्वाचन

(धारा 25 (4)

10. धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्य के स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए, धारा 25 की उप–धारा (4) के अधीन निर्वाचन की दशा में इन नियमों के भाग 2 में आम चुनाव के लिए यथाअधिकथित वे ही नियम, यावत्शक्य, लागू होंगें सिवाय इस बात के कि नियम 2 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना रिक्ति होने के दो मास के भीतर प्रकाशित की जाएगी और यह कि निर्वाचन उस स्थान अथवा स्थानों के लिए के लिए होंगे जो रिक्त हो जाए।

भाग 4– धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन सदस्य का निर्वाचन

11. धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन सदस्य के निर्वाचन के लिए सदस्य के पदग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो मास पूर्व राजस्थान चिकित्सक रजिस्ट्रीरकण परिषद् के सभापित को रजिस्ट्रार निवेदन करते हुए लिखेगा और उससे निवेदन करेगा कि वह उपरोक्त उल्लिखित खण्ड के अधीन सदस्य के निर्वाचन के लिए व्यवस्था करेगा और तब उक्त सभापित नियमों में यथाअधिकथित उसी रीति से चुनाव कराएगा जो राजस्थान चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण परिषद् के निर्वाचित पदाधिकारी के निर्वाचन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी।

12. राजस्थान चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण परिषद् के सभापति द्वारा धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित सदस्य का नाम राज–पत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य सरकार की तत्काल सूचित किया जाएगा।

13. नियम 11 में उपबन्धित रीति से धारा 25 के खण्ड (2) अथवा खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी भी आकस्मिकताओं के होने पर, निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, रजिस्ट्रार रिक्त होने के तीस दिन के भीतर ऐसी रिक्ति के विषय में राजस्थान चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण परिषद् के सभापित को सूचित करेगा और तब सभापति नियम 11 में यथाअधिकथित रीति से निर्वाचन करायेगा और निर्वाचन के परिणाम की राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा।

भाग 5–सभापित तथा उप–सभापति का निर्वाचन (धारा 23)

14. धारा 19 के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र तथा राज्य सरकार द्वारा खण्ड (ख), (घ) और (ग) के अधीन नियुक्तियां हो जाने और राज–पत्र में अधिसूचित किये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार परिषद् के सभापति तथा उप सभापति निर्वाचित करने के प्रयोजनार्थ परिषद् के सदस्यों की बैठक बुलाएगा।

15. इस प्रकार बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से एक ऐसे व्यक्ति को

बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगें जो सभापति अथवा उप–सभापति के पद के लिए उम्मीदवार नहीं है।

16. रजिस्ट्रार बैठक के सभापति के निर्वाचन का संचालन ऐसी रीति से लिये गये मतपत्रों द्वारा करेगा जिसे वह अवधारित करें और स्वयं उसका कोई मत नहीं होगा। अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त मतों के समान होने की दशा में, उनमें से एक व्यक्ति का चयन लॉट द्वारा ऐसी रीति से **विनिश्चित** किया जाएगा जिसे रजिस्ट्रार अवधारित करें।

17. (1) अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसे रीति से लिये गये मतपत्रों द्वारा किया जाएगा जिसे बैठक का सभापति अवधारित करें।

(2) बैठक का सभापति अध्यक्ष के निर्वाचन में सामान्यतः किसी मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा किन्तु मत समान होने की दशा में उसे मताधिकार होगा और वह निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

18. अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने पर यदि वह बैठक में उपस्थित हो, तो वह उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करेगा। यदि वह बैठक में उपस्थित नहीं हो तो नियम 16 के अधीन बैठक का निर्वाचित सभापति उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन भी करेगा। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित वही होगी जो नियम 17 में अधिकथित है।

19. यदि अध्यक्ष बैठक में उपस्थित हो तो बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, अन्यथा उस पर नियम 16 के अधीन बैठक के निर्वाचित सभापति के हस्ताक्षर होंगें। निर्वाचित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के नामों सहित कार्यवाही की प्रति राज–पत्र में नामों के प्रकाशनार्थ राज्य सरकार को तत्काल अग्रेषित की जाएगी।

20. अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में नियम 14 के

नियम 19 के उपबन्धों के अनुसार नया चुनाव होगा।

भाग 6–कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन (धारा 27)

21. परिषद् के सदस्यों द्वारा धारा 27 के अधीन परिषद् के तीन सदस्यों (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से भिन्न) का कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचन परिषद् की बैठक में किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। यह वही बैठक हो सकती है जिसमें अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाए और जिसमें वह उपस्थित हो अथवा सुविधानुसार कोई पश्चात्वर्ती बैठक हो।

22. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति से लिये गये मतों द्वारा

होगा जैसा कि अध्यक्ष अवधारित करें और प्रस्तावित दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त मत समान होने की दशा में चयन ऐसी रीति से निकाले गये लॉट द्वारा किया जावेगा जिसे अध्यक्ष विनिश्चित करें।

भाग 7–साधारण

23. यदि इन नियमों के आशय, अर्थान्वयन या लागू होने अथवा किसी निर्वाचन की विधिमान्यता के बारें में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो तत्संबंधी प्रश्न अधिनियम की धारा 24 के अधीन राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। परिषद् के लिए किसी निर्वाचन की विधिमान्यता पर किसी याचिका में आक्षेप किया जाए तो वह याचिका निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से दो मास के भीतर परिषद् को भेजी जाएगी और परिषद् उक्त तारीख से तीन मास के भीतर अधिनियम की धारा 24 के अधीन ऐसी याचिका सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगी।

24. यदि निर्वाचन कराने और इन नियमों के उपबन्ध को कार्यान्वित कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो रजिस्ट्रार के लिए ऐसी कार्यवाही करना या ऐसे आदेश पारित करना विधिपूर्ण होगा जो उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो।

25. राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या निर्वाचन की तारीख से तीन मास के भीतर किये गये आक्षेप पर परिषद् के किसी निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण (उदाहरणार्थ–रिश्वत, अनुचित-प्रभाव, प्रतिरूपण, मिथ्या कथनों के प्रकाशन) या किसी अन्य पर्याप्त कारण से शून्य घोषित कर सकेगी और विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर नया चुनाव कराने के लिए प्रभावित निर्वाचक–मंडल से अपेक्षा कर सकेगी और इस नियम के अधीन राज्य सरकार का कोई भी विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट

प्ररूप ''क''

नामनिर्देशन–पत्र

(नियम 4 देखिये)

1. अभ्यर्थी का नाम (पूरा यथा रजिस्ट्रीकृत) ....

2. पिता का नाम ....

3. आयु ....

4. रजिस्ट्रीकरण संख्या .... भाग .... में ....

5. अर्हता यथा रजिस्ट्रीकृत ....

6. पता (वृत्तिक पता) ....

' में ...., राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ, रजिस्ट्रीकरण संख्या .... भाग .... में, भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन, राजस्थान भेषजी परिषद् के सदस्य के रूप में, निर्वाचन के लिए ऊपर लिखित उम्मीदवार की प्रस्थावना करता हूँ।

' पूरा यथा रजिस्ट्रीकृत

प्रस्थापक के हस्ताक्षर (पूर्ण)

दिनांक ....

' मैं ...., राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ, रजिस्ट्रीकरण संख्या .... भाग .... में, उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

' यथा रजिस्ट्रीकृत)

पूरा नाम .... अनुमोदक के हस्ताक्षर (पूर्ण)

दिनांक ....

नाम निर्देशित उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं, ऊपर नामित ' .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूँ। यह कि मै राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ, रजिस्ट्रीकरण, संख्या ...., भाग .... में .... हूँ और यह कि मेरा पता (वृत्तिक पता) .... है।

पूरा नाम यथा रजिस्ट्रीकृत अनुमोदक के हस्ताक्षर (पूर्ण)

दिनांक ....

प्ररूप ''ख''

(नियम 8(2) देखिये)

क्रम संख्या ....

सम्यक रूप से नामनिर्देशित उम्मीदवारों की क्रम संख्या	सम्यक रूप से नामनिर्देशित उम्मीदवारों के नाम, रजिस्ट्रीकृत संख्या और रजिस्ट्रीकृत अर्हताए	मतदाता के चिन्ह X के लिए स्तम्भ
1	2	3
1		
2		
3		

मत–पत्र

एक मतदाता .... उम्मीदवारों के लिए मत दे सकेगा और इससे अधिक नहीं; परन्तु यदि वह ऐसा चाहे तो वह इससे कम के लिए मत दे सकेगा।

प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सम्मुख, जिसे मतदाता मत दे, स्तंभ 3 में स्याही से क्रास का (X) चिन्ह लगायेगा। मत–पत्र पर कोई अन्य चिन्ह, लेख अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे।

इस प्रकार क्रास चिन्ह से चिन्हित मतपत्र शनाख्त लिफाफे में रखा जाएगा और तब लिफाफे में मतपत्र रखकर उसे या तो डाक द्वारा, या मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग आफिसर को लौटाया जाएगा। उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (अपरान्ह) को या उससे पहले पंहुच जाना चाहिए।

(नियमों के नियम 8 को भी देखिए)

प्ररूप ''ग''

(नियम 8(2) देखिये)

संख्या ' ....

मैं .... (पूरा नाम) निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता और वह व्यक्ति जिसको संलग्न मतपत्र संबोधित किया गया, घोषणा करते हैं कि मेरा नाम राजस्थान में

रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण संख्या .... पर सम्मिलित है, और यह कि मैने इस निर्वाचन के लिए इस निर्वाचक मण्डल के किसी अन्य मतपत्र पर चिन्ह नहीं लगाया है।

वही क्रम संख्या जो मतपत्र पर स्टाम्पित है।

पता ....

तारीख .... हस्ताक्षर (पूर्ण)

अवध्येय– संलग्न शनाख्त लिफाफे के प्रत्येक मतपत्र को लौटाने से पूर्व उसके पिछले भाग पर मुद्रित अनुदेशों का पूर्णतया अनुसरण किया जाना चाहिए। शनाख्त लिफाफे के लिए नियम 8 के खण्ड (9) तथा (10) देखिए।

प्ररूप ''घ''

(नियम 9 (1) (क) देखिये)

भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन राजस्थान भेषजी परिषद् के लिए निर्वाचन

अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में अभिलिखित विधिमान्य मतों की संख्या
1	2
1. 2. इत्यादि इत्यादि	

विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

अविधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

मैं घौषणा करता हूँ कि (नाम) .... पता .... सम्यक रूप से निर्वाचित हो गया है।

(हस्ताक्षर) रिटर्निंग ऑफिसर

दिनांक .... माह ....

राज्य परिषद की सम्पत्ति का प्रबन्ध और उसके लेखे रखना तथा संपरीक्षा

(मूल अग्रेजी पाठ अधिसूचना संख्या एफ.2 (8) (1) एम.पी.एच.159 तारीख 24-1-1968 द्वारा राजस्थान राज–पत्र, भाग iv (ग), साधारण तारीख 28-3-1968 में प्रकाशित हुआ)

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम viii) की धारा 46 की उप–धारा (1) द्वारा और विशिष्टतः उप–धारा (2) के खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (छ), (झ), (ञ) तथा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-

भाग–I

राज्य सम्पत्ति का प्रबन्ध और इसके लेखाओं का अनुरक्षण तथा संपरीक्षा

1. राज्य परिषद् की समस्त सम्पत्तियों का प्रबन्ध रजिस्ट्रार के सीधे कार्यभार में रहेगा।

2. (1) राजस्थान भेषजी परिषद् के नाम से स्टेट बैंक .... में एक खाता खोला जाएगा, और राज्य परिषद् के लिए तथा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन को उसके खाते में जमा किया जाएगा।

(2) बैंक पर के समस्त चैक, रजिस्ट्रार तथा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगें।

3. (1) समुचित शीर्षकों वाली एक रोकड बही और एक खाता बही रखी जाएगी और समस्त प्राप्तियां तथा व्यय उनमें प्रविष्ट किये जाएगें।

(2) छोटे व्ययों के लिए 10 रूपये का स्थायी अग्रिम धन नकद अग्रदाय के रूप में रजिस्ट्रार को अनुज्ञात किया जाएगा, जिसके लिए एक पृथक पुस्तक रखी जाएगी।

(3) ऐसे छोटे व्ययों के लेखे उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति समय–समय पर बैंक से धन निकाल कर की जाएगी और रोकड बही तथा खाता बही में प्रविष्टि की जाएगी। रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी प्रतिपूर्ति के बिलों को पारित कर दिये जाने पर अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

4. (1) कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जब तक राज्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट में इसका उपबन्ध नहीं कर दिया गया हो और जब तक कि आवश्यक निधियां उपलब्ध नहीं हो। अपूर्व कल्पित परिस्थितियों द्वारा आवश्यक होने पर आपाती व्यय राज्य परिषद् के अनुमोदन की पूर्वाशा में उपगत किये जाने के लिए अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किये जा सकेंगे, परन्तु व्यय करने के लिए निधियां उपलब्ध हों।

(2) 20 /– रूपये से अनधिक राशि का बिल रजिस्ट्रार द्वारा संदत्त किया जा सकेगा। 20 /– रूपये से अधिक की राशि का बिल संदाय से पूर्व अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5. (1) प्रत्येक वर्ष सितम्बर के मास में रजिस्ट्रार वित्तीय वर्ष के पहले पांच मासों के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण और अगले सात मासों के लिए प्राक्कलन तथा अगली पहली अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के बजट के लिए प्राक्कलन भी तैयार करेगा। ये कार्य-कारिणी समिति के सम्मुख तत्काल रखे जायेगें जो यह विनिश्चय करेगी कि इसे राज्य परिषद् के कृत्यों को निभाने में समर्थ बनाने के लिए यदि कोई आवश्यक हो तो कितनी वित्तीय सहायता राज्य सरकार से मांगी जानी चाहिए।

(2) कार्यकारिणी समिति द्वारा अगली पहली अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के बजट को स्वीकृत किये जाने के पश्चात् राज्य परिषद् के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ जनवरी की बैठक में उसके सम्पूर्ण रूप में या ऐसे उपान्तरण सहित, जैसा परिषद् उचित समझे, रखा जाएगा; परन्तु यदि बजट राज्य सरकार की ओर से समाश्रित अर्थ साहाय्य का हो तो निधियों के प्रावधानों के लिए प्रार्थना सहित जिसके लिए बजट अनुपालन हेतु राज्य सरकार का अनुदान आवश्यक होगा, राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ उसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जब आगामी वर्ष का बजट राज्य परिषद् को प्रस्तुत किया जाए तो शेष तीन महीनों के लिए सम्भाव्य व्यय के प्राक्कलन और साथ साथ चालू वर्ष के पहले 9 महीनों के लिए आय–व्यय का वास्तविक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा और तद्नुसार चालू वर्ष के लिए मूल-बजट या जैसा राज्य परिषद् उचित समझे राज्य परिषद् द्वारा संशोधित बजट पेश किया जा सकता है।

6. राज्य परिषद् जिस वर्ष के लिए प्राक्कलन मंजूर किया गया है उसके दौरान किसी भी समय पूरक प्राक्कलन तैयार करवा सकती है और उसको प्रस्तुत करवा सकती

है। प्रत्येक ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर, उसी रीति से, मानों ये मूल वार्षिक प्राक्कलन हो, राज्य परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और मंजूर किया जाएगा।

7. राज्य परिषद् के लेखों की संपरीक्षा प्रतिवर्ष एक बार राज्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी और ऑडिट रिपोर्ट पर उसके प्रस्तुत होने के पश्चात् राज्य परिषद् अपनी बैठक में विचार करेगी।

भाग–II

राज्य परिषद की बैठक

8. (1) **साधारण बैठकें** :– राज्य परिषद् की साधारण बैठकें कैलेण्डर वर्ष में दो बार अधिमान्यतः जनवरी और अगस्त में, ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर हो जो उक्त प्रयोजनार्थ अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाए। राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को तारीख का कम से कम 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(2) **विशेष बैठकें** :– अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, किसी आपाती मामले पर कार्यवाही करने के लिए राज्य परिषद् की विशेष बैठक बुला सकता है। ऐसे मामले में, नोटिस की कालावधि कम हो सकती है, लेकिन 5 दिनों से कम नहीं।

(3) **अध्येक्षित बैठक** – अध्यक्ष, राज्य परिषद् की अध्यपेक्षित बैठक तब बुलाएगा जब किसी विशिष्ट मामले के विचारार्थ लिखित में और कम से कम 10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित उससे अध्यपेक्षा की जाए। प्रत्येक ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से संकल्प के रूप में उनके प्रस्ताव का वर्णन होगा और मामला ऐसा होगा जो भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य परिषद् के कार्यो के अन्दर हो। अध्यक्ष अध्यपेक्षित बैठक बुलाने के लिए मना कर सकता है, यदि उसकी रॉय में इन अध्यपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो अथवा यदि उसके विचार में परिषद् की अगली साधारण बैठक तक मामले के लिए प्रतीक्षा की जा सकती हो।

जब अध्येपक्षित बैठक बुलाई जाए तो कम से कम 15 दिन का नोटिस, प्राप्त अध्यपेक्षा को प्रति सहित, प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा।

9. **साधारण बैठकों की कार्यसूची** :– नियम 8 (1) में निर्दिष्ट नोटिस के साथ यथासम्भव प्रारम्भिक कार्यसूची अनुबद्ध की जाएगी। किसी मामले को प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई सदस्य रजिस्ट्रार को अपना लिखित प्रस्ताव भेज सकता है जो संकल्प के प्रस्ताव के रूप में होगा। ऐसी सूचना बैठक से कम से कम 15 दिन

पूर्व रजिस्ट्रार के पास पंहुचनी चाहिए। प्रारम्भिक कार्यसूची में इस प्रकार या अन्यथा जोडे गये मदों के नोटिस बैठक से पूर्व यथाशीघ्र सदस्यों को भेजे जायेगें।

10. **बैठक में जिनको अध्यक्षता करनी है :– (1)** राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति द्वारा या यदि वह अनुपस्थित हो तो उप–सभापति द्वारा या यदि सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित सभापति द्वारा की जाएगी।

(2) इस भाग में सभापति के प्रति समस्त निर्देश बैठक की तत्समय सभापतित्व करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जावेगें।

11. (1) **गणपूर्ति** :– राज्य परिषद् के आठ उपस्थित सदस्य जिनमें से सभापति एक हो सकता है, गणपूर्ति करेगें, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक की दशा में कोई गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) यदि बैठक के लिए नियत समय पर गणपूर्ति न हो तो बैठक तब तक प्रारम्भ नहीं होगी जब तक गणपूर्ति न हो और यदि बैठक के लिये नियत समय से या बैठक के चलते रहने के दौरान किसी समय से 20 मिनट समाप्त होने तक गणपूर्ति न हो तो बैठक ऐसे भावी समय तथा तारीख तक के लिये स्थगित रहेगी जिसे अध्यक्ष नियत करें।

12. (1) **किसी विषय का अवधारण करने के लिए प्रस्ताव अपेक्षित – (1)** राज्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाला प्रत्येक विषय सदस्य के प्रस्ताव और अध्यक्ष द्वारा राज्य परिषद् को प्रस्तुत कर के अवधारित किया जाएगा।

(2) **प्रस्ताव ग्राहय नहीं होगा –**

(क) यदि वह विषय, जिससे इसका संबंध है राज्य परिषद् के कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं है;

(ख) यदि यह प्रस्ताव या संशोधन के रूप में, सारतः वही प्रश्न उठाया गया है जो साल भर के भीतर, बैठक की तारीख जिस पर इसे प्रस्तावित किये जाने का आशय है, राज्य परिषद् की इजाजत से प्रस्तावित किया गया था या वापस लिया गया है ; परन्तु ऐसा प्रस्ताव राज्य परिषद् के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की अध्यपेक्षा पर उक्त प्रयोजनार्थ संयोजित राज्य परिषद् की विशेष संख्या में स्वीकार किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि औषध निर्माण अधिनियम, 1948 के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद् को निर्दिष्ट किसी

मामलें पर और विचार–विमर्श करने के लिए इन नियमों में कोई भी बात प्रतिषिद्ध नहीं करेगी;

(ग) जब तक यह स्पष्ट रूप से तथा सुसथ्यतः अभिव्यक्त न किया जाए और सारतः एक निश्चित विवाद्यक उत्पन्न न करता हो;

(घ) यदि इसमें अनुज्ञान, व्यंगात्मक अभिव्यक्तियां या मानहानिकारक कथन अवविष्ट हों।

(3) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को जो उसकी रॉय में उप–नियम (2) के अधीन अग्राहय हो नामंजूर करेगा;

परन्तु यदि प्रस्ताव संशोधन द्वारा अनुज्ञेय बना दिया जा सके तो अध्यक्ष, प्रस्ताव को नामंजूर करने के बदलें में, उसे संशोधित रूप में मंजूर कर सकता है।

(4) जब अध्यक्ष प्रस्ताव को मंजूर करे या संशोधित करे तो रजिस्ट्रार उस सदस्य को जिसने प्रस्ताव का नोटिस दिया था, अस्वीकृति के आदेश या, जैसी भी स्थिति हो, उस प्ररूप के बारे में सूचित करेगा जिसमें प्रस्ताव संशोधन के पश्चात् मंजूर किया गया है।

13. **विनिश्चय** – (1) जब सदस्य एक मत न हों तो प्रस्ताव पर विनिश्चय हाथ उठाकर या विभाजन द्वारा अपने मतपत्र द्वारा, जैसा अध्यक्ष निर्देश दे, किया जाएगाः

परन्तु तीन सदस्य यदि ऐसा चाहें और इसकी मांग करें तो मतदान मतपत्र द्वारा होगाः

परन्तु यह और कि यदि मतदान हाथ उठाकर हुआ हो तो और यदि कोई सदस्य इसकी मांग करे तो विभाजन किया जाएगा।

(2) विभाजन द्वारा मत लिए जाने की पद्धतियां अध्यक्ष अवधारित करेगा।

(3) मतदान का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा और उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

(4) मतों की समानता होने की दशा में अध्यक्ष का दूसरा मत निर्णायक मत होगा।

14. **प्रस्ताव अथवा संशोधन का समर्पित किया जाना** – (1) प्रत्येक प्रस्ताव अथवा संशोधन का समर्थन किया जाएगा और यदि समर्थन नहीं किया गया

तो उसे वापस लिया हुआ समझा जाएगा।

(2) जब प्रस्ताव इस प्रकार समर्पित किया गया है और वापस नहीं लिया गया है तो सभापित इसका कथन करेगा और कोई सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा जो प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी परिधि के भीतर हो।

(3) ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत का हो।

(4) प्रस्ताव निम्न प्रकार संशोधित किया जा सकेगा :–

(क) शब्दों के लोप, अन्तःस्थापन अथवा परिवर्धन; या

(ख) किन्हीं मूल शब्दों के स्थान पर शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा।

(5) अध्यक्ष संशोधन प्रस्तुत करने से इन्कार कर सकता है जो उसके विचार में तुच्छ हो।

15. **प्रस्तावों तथा संशोधन के विषय में और आगे – (1)** जब प्रस्ताव या संशोधन विचार–विमर्शाधीन हो तो निम्नलिखित के अतिरिक्त उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा सिवाय निम्नलिखित के–

(क) प्रस्ताव या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, नियम 14 के अधीन यथाप्रस्तावित;

(ख) प्रस्ताव अथवा संशोधन पर या तो विनिर्दिष्ट तारीख तक तथा या अनिश्चित काल तक विचार–विमर्श के स्थगन के लिए प्रस्ताव;

(ग) बन्द होने के लिए प्रस्ताव; अर्थात इस विषय पर पक्ष तथा विपक्ष के मत देने के लिए प्रस्ताव;

(घ) यह प्रस्ताव कि राज्य परिषद् द्वारा आगे कार्यवाही करने के बजाय काम काज संबंधी कार्यक्रम के अगले मद पर विचार करने के प्रस्ताव पर कार्यवाहीः

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिससे भाषण में विघ्न पडता होः

परन्तु और भी कि (ख), (ग) और (घ) खण्डों में निर्दिष्ट प्रकार का कोई प्रस्ताव सदस्य द्वारा प्रस्तुत या समर्पित नहीं किया जाएगा जो तब बैठक के सम्मुख प्रश्नों पर पहले की बोल चुका हैः

परन्तु और कि (ग) और (घ) खण्डों में निर्दिष्ट प्रस्ताव बिना भाषण प्रस्तुत

किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का प्रस्ताव पारित करने या राज्य-परिषद् को पेश करने से इन्कार करना अध्यक्ष के विवेकाधिकार में होगा।

(3) जब तक अध्यक्ष की यह रॉय नहीं हो कि बन्द करने के लिए प्रस्ताव समुचित विचार–विमर्श के अधिकार का दुरूपयोग है, वह तत्काल प्रस्ताव रखेगा कि पक्ष तथा विपक्ष के मत देने के लिए प्रस्ताव अब रखा जाए और प्रस्ताव पारित हो जाए तो मूल प्रस्ताव या संशोधन विचार के लिए तुरन्त रखा जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष विचाराधीन मूल प्रस्ताव के रखे जाने से पूर्व मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक का उत्तर देने के उसके अधिकार का प्रयोग करा सकता है।

16. **विचार–विमर्श की प्रक्रिया – (1)** जो प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तावित तथा समर्थित किया गया है, राज्य परिषद् की इजाजत के बिना वापस नहीं लिया जाएगा और यदि इजाजत देने में किसी सदस्य की विसम्मति हो तो इजाजत दी हुई नहीं समझी जाएगी।

(2) जब प्रस्ताव प्रस्तुत तथा समर्पित कर दिया गया है तो प्रस्तावक या समर्थक से भिन्न कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम में बोल सकेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे ः

(3) बैठक के दौरान अध्यक्ष किसी भी समय कोई आक्षेप कर सकेगा या सुझाव दे सकेगा या किसी विषय बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए सूचना दे सकेगा अथवा विचार विमर्श में सदस्यों की मदद कर सकेगा।

(4) मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक और अध्यक्ष द्वारा अनुमति देने पर किसी संशोधन का प्रस्तावक अन्तिम उत्तर देने के अधिकार का हकदार होगा, कोई अन्य सदस्य वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने या उस समय राज्य परिषद् को संबोधित करने वाले सदस्य से प्रश्न करने के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय एक बार से अधिक विचार–विमर्श में अपनी अभ्युक्तियां संबोधित नहीं करेगा :

परन्तु विचार–विमर्श के किसी प्रक्रम में कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है; परन्तु उस विषय पर भाषण नहीं देने दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जो सदस्य किसी प्रस्ताव पर बोल चुका है तत्पश्चात्

वही उसी प्रस्ताव के संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर फिर बोल सकता है।

(5) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना कोई सदस्य पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा :

परन्तु प्रस्ताव का प्रस्तावक उसे प्रस्तावित करते समय दस मिनट बोल सकता है।

(6) जिस विषय–वस्तु पर प्रस्ताव अथवा संशोधन किया जाए भाषण सर्वथा उसी तक सीमित रहेगा।

(7) जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव या संशोधन अंकित है उसके बैठक से अनुपस्थित होने पर या उसके प्रस्तुत करने से अनिच्छुक होने पर अध्यक्ष की अनुज्ञा से उसे दूसरे सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।

(8) राज्य परिषद् के सम्मुख मामले पर कोई टीका–टिप्पणी करने का इच्छुक सदस्य अपने स्थान से उठकर बोलेगा और अध्यक्ष को संबोधित करेगा।

(9) यदि किसी समय अध्यक्ष उठता है तो बोलने वाला सदस्य तुरन्त अपना स्थान ग्रहण करेगा।

(10) किसी भी सदस्य की राज्य परिषद् के समक्ष कारबार के अलावा अन्य बात नहीं सुनी जाएगी।

17. (1) जब किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत तथा समर्पित किया जाता है (या जब दो या अधिक संशोधन प्रस्तुत तथा समर्पित किये जाते है) तो अध्यक्ष उन पर राज्य परिषद् का मन्तव्य जानने से पूर्व मूल प्रस्ताव तथा प्रस्थापित संशोधन या संशोधनों के निबन्धनों को राज्य परिषद् को बताएगा या उन्हें पढ कर सुनाएगा।

(2) प्रस्ताव के संशोधन पर पहले मत लिया जाएगा।

(3) यदि प्रस्ताव का एक से अधिक संशोधन हो तो अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि वे किस क्रम में लिए जायेगे।

(4) जब किसी ऐसे प्रस्ताव पर, जिसमें कई विषय बिन्दु अन्तर्वलित हों, विचार–विमर्श हो चुका हो तो उस प्रस्ताव को विभाजित करना और प्रत्येक या किसी एक विषय–बिन्दु पर पृथकतः मत लेना, जैसा कि वह उचित समझे, अध्यक्ष के विवेकाधिकार में होगा।

18. (1) **बैठकों के स्थगन –(1)** अध्यक्ष, कारणों के कथन के पश्चात् किसी भी समय, किसी बैठक को किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए या उसी दिन किसी

और समय के लिए स्थगित कर सकेगा।

(2) जब कभी बैठक भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित की जाए तो रजिस्ट्रार, सम्भव होने पर स्थगन का नोटिस प्रत्येक ऐसे सदस्य को भेजेगा जो बैठक में उपस्थित नहीं था।

(3) जब बैठक भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर दी गई हो तो अध्यक्ष ऐसे दिन को किसी अन्य दिन के लिए परिवर्तित कर सकेगा और रजिस्ट्रार इस परिवर्तन का लिखित नोटिस प्रत्येक सदस्य को भेजेगा।

(4) भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित बैठक में पहले दिन का मुल्तवी रहा हुआ प्रस्ताव, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, कार्यसूची के अन्य विषयों से पहले लिया जाएगा।

(5) बैठक के प्रारम्भ में या बैठक के दौरान विशिष्ट मद पर विचार विमर्श की समाप्ति के पश्चात्, अध्यक्ष या सदस्य कार्यसूची पर कार्य के क्रम में परिवर्तन सुझा सकता है; यदि राज्य परिषद् सहमत हो तो ऐसा परिवर्तन होगा।

(6) स्थगित बैठक में ऐसे विषय पर विचार–विमर्श नहीं किया जाएगा जो आरम्भिक बैठक की सूची में न रहा हो।

(7) नियम 11(1) में उपबन्धित विषयों के सिवाय, स्थगित बैठक के लिए साधारण बैठक जैसी गणपूर्ति आवश्यक होगी।

19. (1) व्यवस्था के जो प्रश्न उठें उन सबका अध्यक्ष विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) यदि किसी ऐसे विषय की प्रक्रिया के बारें में कोई प्रश्न उठे जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है तो अध्यक्ष ऐसी प्रक्रिया का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. राज्य परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियां मुद्रित कार्यवृत्त के रूप में परिरक्षित की जायेगी जिन्हें अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा पुष्ट किये जाने के पश्चात् अधिप्रमाणित किया जाएगा।

21. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बैठक के 15 दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी और उसके द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी और तब उन्हें बैठक के 30 दिन के भीतर प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा।

22. (1) यदि कार्यवृत्त प्रेषित करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवृत्त की शुद्धता के संबंध में कोई आक्षेप प्राप्त हो तो ऐसा आक्षेप यथा अभिलिखित तथा अनुप्रमाणित कार्यवृत्त सहित पुष्ट किये जाने के लिए राज्य परिषद् की अगली बैठक के सम्मुख रखा जाएगा। इस बैठक में गत बैठक के अभिलेखों की शुद्धता के अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) यदि बैठक में राज्य परिषद् द्वारा लिये गये विनिश्चय के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा उस विशेष बैठक के कार्यवृत्त को प्रेषित करने के 30 दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हो तो ऐसा विनिश्चय, यदि समीचीन हो तो, अगली बैठक में कार्यवृत्त के पुष्ट किये जाने के पूर्व कार्यान्वित किया जाए :

परन्तु अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि उपरोक्त वर्णित 30 दिन की कालावधि के अवसान से पहले राज्य परिषद् के विनिश्चय पर कार्यवाही की जाए।

भाग–III

सभापति और उप–सभापति की शक्तियां और कर्त्तव्य

23. सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा जो भेषजी अधिनियम, 1948 तथा राज्य परिषद् के नियमों तथा स्थायी आदेशों के उपबन्धों में अधिकथित है। वह ऐसे कार्य करेगा जैसा उन उद्‌देश्यों के अग्रसर करने में वह आवश्यक समझे जिनके लिए राज्य परिषद् की स्थापन हुई है।

24. यदि सभापति का पद रिक्त हो या यदि सभापति किसी कारण अपने पद के कर्त्तव्यों के अनुपालन में शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ हो तो उपसभापति उसके स्थान पर कार्य करेगा और सभापति की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा।

भाग–IV

कार्यकारिणी समिति

25. कार्यकारिणी समिति सभापति और पदेन उप सभापति तथा राज्य परिषद् की प्रथम बैठक में गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार निर्वाचित तीन सदस्यों में से कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत भेषजी होंगे। इस प्रकार निर्वाचित कार्यकारिणी समिति, नई कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन तक पद धारण करेगी।

26. कार्यकारिणी समिति की बैठक ऐसी तारीख को होगी जो सभापति द्वारा नियत की

जाए।

27. कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति गठित करने हेतु तीन सदस्य आवश्यक होंगें।

28. यदि विराम काल में कार्यकारिणी समिति में रिक्ति हो तो समिति ऐसी रिक्ति को भर सकेगी सिवाय उन मामलों में जहां राज्य परिषद् की बैठक के लिए समन जारी किये गये हों जब कि परिषद् स्वयं निर्वाचन करेगी।

29. रजिस्ट्रार की मृत्यु या बीमारी से उसके असमर्थ होने या उसके अवकाश पर होने पर उस समय राज्य परिषद् के अधिवेशन में न होने की दशा में रजिस्ट्रार के कर्त्तव्यों के अस्थायी रूप से पालन हेतु कार्यकारिणी समिति किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगी। कार्यकारिणी समिति राजस्थान सेवा नियमों में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार रजिस्ट्रार को अवकाश प्रदान करेगी।

30. राज्य परिषद् या अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये जाने वाले विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(i) राज्य परिषद् के कार्यालय का साधारण अधीक्षण और विशेष रूप से कर्मचारिवृन्द के विषय में परिषद् को सिफारिशें करना (अधिनियम की धारा 26) तथा वार्षिक बजट तैयार करना;

(ii) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो अध्यपेक्षाएं की जाए उनका अनुपालन करना;

(iii) अधिनियम की धारा 33 की उप धारा (3) के अधीन अपील के मामलों में आवश्यक जांच करना और राज्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(iv) उन शिकायतों या सूचनाओं के मामलों में, जिनमें विचार करना अपेक्षित हो कार्यवाही करना कि क्या रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए (अधिनियम की धारा 36)

(v) रजिस्टर में नाम के प्रत्यावर्तन आवेदनों की जांच करना (अधिनियम की धारा 37) और राज्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(vi) उन मामलों पर विचार करना जिनमें अभियोजन अपेक्षित है और जब आवश्यक हो तो शिकायत दाखिल करने के लिए कार्यवाही करना अधिनियम की धारायें 41 व 44), और

(vii) उन मामलों को राज्य सरकार के ध्यान में लाना जिनमे अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (3) के अधीन अभियोजन अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम में, अभिव्यक्ति ''अधिनियम'' से अधिनियम, 1948 अभिप्रेत है।

31. कार्यसमिति की समस्त कार्यवाहियां अनुमोदन, पुष्टिकरण या अन्य आदेशों को अभिलिखित करने के लिए, जैसा कि मामले के स्वरूपानुसार आवश्यक हो, राज्य परिषद् को प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ, कार्यवाहियों में उन कारणों तथा परिस्थितियों का संक्षिप्ततः वर्णन होगा जिनके लिए समिति अपनी सिफारिश करती है या विशेष दृष्टिकोण अपनाती है; और कार्यवाहियों की प्रतियां राज्य परिषद् की बैठक की कार्यसूची सहित राज्य परिषद् के सदस्यों में परिचालित की जायेगी।

32. कार्यकारिणी समिति को राज्य परिषद् के कार्यालय से संबंधित मामले और उसके कामकाज पर, जिसमें भेषजज्ञों के रजिस्टर तैयार करना तथा उसे बनाये रखना और विक्रय द्वारा या अन्यथा मुद्रित प्रतियों को वितरित करना सम्मिलित है, अधीक्षण और निदेशन की साधारण शक्तियां होगी।

33. (1) कार्यकारिणी समिति उप–समितियों का गठन कर सकेगी और ऐसी उप–समितियों में, उन व्यक्तियों को, जो राज्य परिषद् के सदस्य नहीं है ऐसे विषयों पर, जो यह समिति उन्हें निर्देशित करना आवश्यक समझे, प्रतिवेदन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) उप नियम (i) के अधीन नियुक्त उप–समिति के सदस्य उप–समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए किसी फीस के हकदार नहीं होंगे। वे केवल यात्रा–व्यय के ही हकदार होंगें।

भाग–V

रजिस्ट्रीरकण

34. भेषजी के लिए रखा जाने वाला रजिस्टर इन नियमों से संलग्न प्ररूप ''क'' के अनुरूप होगा।

35. नामों को रजिस्टर में उस प्ररूप में प्रविष्ट किया जावेगा जिसमें रजिस्ट्रीकरण लिए आवेदन स्वीकार किये जाते हैं और प्रत्येक प्रविष्टि में अर्हताओं तथा पते में अतिरिक्त वृद्धियों तथा परिवर्तनों के लिये पर्याप्त स्थान छोडा जाएगा।

36. रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाएगा और

टिप्पणी की प्रत्येक प्रविष्टि उसके अद्यक्षरों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

37. (i) प्रत्येक भेषजज्ञ के रजिस्ट्रीरकण पर, ऐसे भेषजज्ञ को इन नियमों से संलग्न प्ररूप में रजिस्ट्रार प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

(ii) उप नियम (1) के अधीन जारी किये गये प्रमाण–पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, प्रमाण–पत्र प्रवृत्त रहने के दौरान धारक किसी भी समय प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रार, यदि वह उचित समझे तो आवेदक की पहचान के संबंध मे, समाधनप्रद सबूत पर, नियम 46 में विहित फीस के संदाय पर ऐसा प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है। इस उप नियम के अधीन जारी किए गए प्रमाण–पत्र पर ''दूसरी प्रति'' चिन्हित की जाएगी।

38. रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार और स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाये जाने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार को, इन नियमों के संलग्न प्ररूप ''ग'' में उसे सम्यक रूप से भरकर तथा हस्ताक्षर करके आवेदन करेगा। प्रत्येक ऐसा आवेदन उसके लिए नियम 46 में विहित फीस सहित किया जाएगा।

39. (1) रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण जिस वर्ष में उसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण किया जाता है उसके पश्चात् आने वाले वर्ष के 31 दिसम्बर तक काम देगा।

(2) उप नियम (1) में वर्णित तारीख के पश्चात् अपना रजिस्ट्रीकरण जारी रखने का इच्छुक व्यक्ति नियम-46 में उस निमित्त विहित फीस सहित नवीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अधिक अच्छा तो यह है कि ऐसे आवेदन उपरोक्त वर्णित तारीख के पूर्व किये जाने चाहिए, तथापि इस प्रकार किये जा सकते है कि वे रजिस्ट्रार के पास अगली 31 मार्च तक पहुंच जाए।

(3) जब उप नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया हो और नवीकरण को प्रविष्टि रजिस्टर में कर दी गई हो तो रजिस्ट्रार नवीकरण पर्ची आवेदक को जारी करेगा जो इन नियमों के संलग्न प्ररूप ''घ'' (1) में, राज्य परिषद् की मुद्रा सहित रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा इसे मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र पर लगाने के लिए आवेदक को निदेश होगा। प्रत्येक ऐसे नवीकरण के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किया जाएगा।

40. (i) भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 34 की उप–धारा (2) के परन्तुक के

अधीन नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और उसके लिए नियम 46 में विहित फीस के साथ होगा।

(ii) उपरोक्त अपेक्षा की पूर्ति पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर में नाम प्रत्यावर्तित करेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप ''घ'' (2) में आवेदक को प्रमाण–पत्र देगा।

(iii) इस प्रकार प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के नाम का विवरण माह के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा कार्यसमिति को उसकी अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

41. (i) औषण निर्माण विज्ञान या औषध रसायन की अतिरिक्त डिग्री अथवा डिप्लोमा की प्रविष्टि के लिए आवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररूप ''ड़'' (1) में होगा और नियम 46 में इस निमित्त विहित फीस तथा प्रविष्ट किये जाने वाले दस्तावेजों डिग्री या डिप्लोमाओं के साथ होगा।

(ii) अतिरिक्त अर्हताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने पर उप–नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रार इन नियमों से संलग्न प्ररूप ''ड़'' (2) में ऐसे भेषजज्ञ को प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

42. (1) रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां किसी को भी नियम 46 के अनुसार फीस के संदाय करने पर जारी की जा सकेगी।

(2) नाम अथवा कुलनाम के परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन स्वयं रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ द्वारा रजिस्ट्रार को किय जाएगा और ऐसा आवेदन नियम 46 में विहित फीस तथा रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ द्वारा मजिस्ट्रेट के सम्मुख इस आशय के शपथ–पत्र के साथ कि आवेदक वही व्यक्ति है जिसका नाम विशिष्ट संख्या में रजिस्ट्रीकृत है और वे परिस्थितियां जिनके लिए परिवर्तन चाहा गया है उनका कथन किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुपालन होने पर रजिस्ट्रार नाम अथवा कुलनाम में परिवर्तन करेगा।

43. रजिस्ट्रार प्रतिवर्ष 1 अप्रेल के पश्चात् यथाशीघ्र जैसा कि रजिस्टर उस तारीख को हो उसकी प्रतियों को मुद्रित करवाएगा और ऐसी प्रतियां उनके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को विहित प्रभार के संदाय करने पर उपलब्ध की जाएगी। रजिस्ट्रार ऐसी मुद्रित सूची के बीच में खाली कागज लगी हुई प्रति रखेगा जिसमें वह वर्ष के दौरान ऐसी कोई प्रविष्टि परिवर्तन या उद्घोषणा करेगा जो आवश्यक

हो।

44. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि जब वह अपना पता परिवर्तित करें तो ऐसा परिवर्तन करने के पश्चात् एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को इस तथ्य को प्रज्ञापित करें।

45. प्रति वर्ष मुद्रित औषधशाला रजिस्टर में निम्नलिखित प्रगणना की प्रविष्टि की जाएगी :–

(1) प्रकाशित रजिस्टर में व्यक्तियों की कुल संख्या,

(2) वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकरण द्वारा जोडे गये व्यक्तियों की संख्या,

(3) रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नामों की संख्या,

(4) भेषजी अधिनियम 1948 की जिस धारा के अधीन नाम हटाया गया है, उसका उल्लेख करते हुए रजिस्टर से हटाये गये नामों की संख्या, और

(5) मृत्यु होने से हटाये गये नामों की संख्या

46. निम्नलिखित फीसे विहित की गई है :–

(क) रजिस्टर में प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिए .... रू. 20/–

(ख) तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अर्हता या प्रास्थिति के लिए .... 5 /-रू.

(ग) वाषिक प्रतिधारण फीस संदाय न करने के कारण रजिस्टर से नाम हटा दिये जाने पर हटाये जाने के वर्ष की और वर्ष या वर्षों की जिनमें नाम हटा हुआ चलता रहा प्रतिधारण फीस के अतिरिक्त रजिस्टर में नाम परिवर्तन के लिए .... 5 /-रू.

(घ) वार्षिक प्रतिधारण के लिए .... रू. 10 /-

(ड़) भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 37 के अधीन रजिस्टर में प्रत्यावर्तन हेतु .. .. रू. 15 /-

(च) नाम या कुलनाम के परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण हेतु .... रू. 5 /-

(छ) रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रत्येक प्रमाणित प्रति के लिए .... रू. 5 /-

(ज) नियम 37 (2) के अधीन प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति के लिए .... रू.5 /-

इस नियम के अधीन विहित फीस उन फीसों के अतिरिक्त होगी जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 या स्टाम्प फीस के उद्ग्रहण से संबंधित

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संदेय हो।

47. सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिनका इन नियमों में उपयोग किया है और जो परिभाषित नहीं है उनमें प्रत्येक के वही अर्थ होंगे जो भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) में उनके लिए दिये गये है।

परिशिष्ट

प्ररूप ''क''

(नियम 34 देखिए)

भेषजी के रजिस्टर का प्ररूप

1. क्रम संख्या ....
2. पूरा नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. जन्म तारीख ....
5. राष्ट्रीयता ....
6. निवास स्थान का पता ....
7. रजिस्टर में प्रथम प्रविष्टि की तारीख ....
8. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं ....
9. वृत्तिक पता ....
10. नियोजन, यदि कोई हो, और नियोजक का नाम ....
11. रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की तारीख ....
12. टिप्पणियां (नामों का नवीकरण, हटाया जाना या प्रत्यावर्तन, तारीखों सहित) ....

प्ररूप ''ख''

(नियम 37 (1) देखिए)

राजस्थान राज्य भेषजी परिषद

(मुहर)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति, जिसका नाम नीचे दिया गया है, भेषजी नियम 1948 (1948 का 8) की धारा 33 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत करा दिया गया है।

नाम ....

अर्हता ....

रजिस्ट्रीकृत संख्या ....

यह प्रमाण–पत्र .... तक प्रवृत्त रहेगा।

तारीख .... रजिस्ट्रार

प्ररूप ''ग''

(नियम 38 देखिए)

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

प्रेषिती,

रजिस्ट्रार,

राजस्थान राज्य भेषजी परिषद्

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 33 के अधीन, राजस्थान राज्य भेषजी परिषद् द्वारा रखे जाने वाले भेषजज्ञों के रजिस्टर में मेरा नाम प्रविष्ट कर लिया जाये और ऐसी प्रविष्टि करके मुझे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र दे दिया जाए।

मैने अपेक्षित विशिष्टियां पीछे के भाग पर दे दी है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि ये सही है और मैं राजस्थान राज्य में निवास करता हूँ। मेरा कारबार या वृत्ति भेषजी की है, मेरा पता .... है।

.... रूपये की विहित फीस एतदद्वारा संदत्त की जाती है। निम्न लिखित डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र दस्तावेज मूल रूप में संलग्न किये जाते हैं , और निवेदन है कि मामले के निपटाए जाने पर उन्हें मुझे लौटा दिया जाये

भवदीय

तारीख ....

(पूरे हस्ताक्षर)

पीछे का भाग

आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

मेट्रिक या इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और उस विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षण निकाय के नाम सहित जिससे कि परीक्षा उत्तीर्ण की ....

पिता का नाम ....

जन्म तारीख ....

राष्ट्रीयता ....

निवास स्थान का पता ....

रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्हता ....

वृत्तिक पता ....

नियोजन, यदि कोई हो, और नियोजक का नाम ....

प्ररूप ''घ'' (1)

(नियम 39 (3) देखिए)

भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण

भेषजज्ञ का नाम ....

रजिस्ट्रीकरण ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 34 की अपेक्षाओं का ऊपर नामित भेषजज्ञ द्वारा अनुपालन किये जाने पर, उसका रजिस्ट्रीकरण .... तक की कालावधि के लिए नवीकृत कर दिया गया है।

(मुहर)

....

रजिस्ट्रार

तारीख ....

प्ररूप ''घ'' (2)

(नियम 40 (2) देखिए)

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 34 (2) के परन्तुक के अधीन नाम के प्रत्यावर्तन के प्रमाण–पत्र का प्ररूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन .... जिसको संख्या .... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था परन्तु जिसका नाम उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (2) के अधीन हटा दिया गया था, उसने उप–धारा के परन्तुक में निर्दिष्ट शर्तो की पूर्ति कर दी है, और तद्नुसार उसका नाम उसी संख्या पर रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

....

रजिस्ट्रार

तारीख ....

प्ररूप ''ड़'' (1)

(नियम 41 (1) देखिए)

अतिरिक्त अर्हताओं की प्रविष्टि के लिए आवेदन

प्रेषिती

रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य भेषजी परिषद्,

महोदय,

मैं .... की अतिरिक्त अर्हताओं को रजिस्टर में दर्ज कराने हेतु आवेदन करता हूँ जो मैने .... से .... प्राप्त की है। अर्हताओं के डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है। यथाशीघ्र कार्यवाही करके, इन्हें लौटा दिया जाए।

मैं पहले से ही भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूँ और मेरी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... है।

विहित फीस के .... रू. इसके साथ प्रेषित है।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख ....

प्ररूप ''ड़'' (2)

(नियम 41 (2) देखिए)

भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन अतिरिक्त अर्हताओं की रजिस्टर में प्रविष्टि

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी हुई अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र की प्रविष्टि राजस्थान राज्य में भेषजी परिषद् द्वारा रखे जाने वाले भेषजज्ञ रजिस्टर में, श्री .... के नाम के सामने कर दी गई है।

रजिस्ट्रेशन संख्या ....

पहले से प्रविष्ट डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र प्रविष्ट की गई डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र

....

....

....

रजिस्ट्रार

तारीख ....

राजस्थान राज्य भेषजी परिषद्

राज्यपाल के नाम और आज्ञा से
स्वरूप राज भंसाली
शासन सचिव,
विधि एवं न्याय विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।